भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2346
उत्तर देने की तारीख 04.08.2025

अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु योजना

2346. श्री अनिल फिरोजिया :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के सांस्कृतिक उत्थान, कला, विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजनाएँ अथवा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) विगत चार वर्षों (2021-2025) के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए बजट में आवंटित कुल निधि और उसके उपयोग सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों से जुड़े कलाकारों, नाट्य समूहों, लोक परंपराओं आदि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण, अनुदान या प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के लिए संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, अनुसंधान केंद्र या अभिलेखागार स्थापित किए गए हैं;

(ड.) यदि हाँ, तो उनके स्थान और उनकी स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र या मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) : जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) कार्यान्वित की जा रही है, जो एक समावेशी योजना है जिसमें कई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत देश भर में अनुसूचित जाति के कलाकारों सहित मंच कलाओं के क्षेत्र में

कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): केएसवीवाई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसमें राज्यवार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विगत चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना शीर्ष सहित कला संस्कृति विकास योजना की सभी स्कीमों और इसके उप-घटकों के अंतर्गत आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधियां (रुपए करोड़ में)**	**उपयोग की गई निधि (रुपए करोड़ में)**
2021-22	177.30	177.30
2022-23	214.32	214.32
2023-24	218.65	218.65
2024-25	207.24	207.24

(ग): कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कलाकारों, रंगमंच समूहों, लोक परंपराओं सहित कलाकारों को प्रशिक्षण देने और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए अनुदान जारी किए गए हैं।

(घ): जी नहीं।

(ड.) : प्रश्न नहीं उठता।

(च): निधियों के उपयोग की निगरानी, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाणों जैसे कि फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के समुचित उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण किए जाने का भी प्रावधान है।

*****

अनुलग्नक-I

'अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु योजना' के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2346 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) :

कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु एक समावेशी स्कीम है। इसमें निम्नलिखित उप-स्कीमें हैं जिसके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**
2. **कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम**
3. **कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम**
4. **टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता**
5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**
6. **सेवा भोज योजना**
7. **राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन**
8. **राष्ट्रीय पुरस्कार योजना**

उप-स्कीमों और उनके घटकों का संक्षिप्त विवरण, जिनके अंतर्गत देश भर में नाटक/रंगमंच, संगीत, नृत्य और अन्य मंच कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, निम्नानुसार है:-

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकारों की आयु के अनुरूप गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह और शिष्य के लिए यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जहाँ देश भर से बड़ी संख्या में कलाकार अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। नवंबर, 2015 से अब तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभअर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्कीम का यह घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित 03 घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के (कनिष्ठ) आयु वर्ग और 40 वर्ष से अधिक आयु के (वरिष्ठ) उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह और 20,000/- रुपए प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु तथा 72,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाएगी।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

*****